व्यापारिक ब्याज

दूसरे फ़िक़्ही सेमिनार में निम्न प्रस्ताव परित करके यह भी स्पष्ट किया गया कि व्यावसायिक या व्यापारिक क़र्ज़ों के लिए भी ब्याज पर आधारित लेन देन जायज़ नहीं है।

सूद चाहे व्यक्गित आवश्यकताओं के लिए दिए गए क़र्ज़ पर लिया जाए या व्यापारिक और व्यवसायिक क़र्ज़ों पर इस्लामी शरीअत के नज़दीक हर हाल में हराम है। यह समझना कि व्यापारिक और व्यवसायिक क़र्ज़ों पर ब्याज हराम के दायरे में नहीं आता, बिल्कुल गलत है। इसी तरह यह समझना भी कि जिस ज़माने में क़ुरआन नाज़िल हुआ था उस ज़माने में व्यावसयिक और व्यापारिक ब्याज का रिवाज नहीं था इस लिए क़ुअरान की पाबंदी उस पर नहीं है, पूरी तरह ग़लत धारणा है। इस बात के एतिहासिक प्रमाण हैं कि व्यापारिक और व्यवसायिक मक़सद के लिए सूद पर लेन देन का चलन उस ज़माने के अरब जगत में भी था और उन लोगों में भी जिन से अरब वासियों के व्यापारिक संबंध और सम्पर्क थे इस लिए व्यवसायिक क़र्ज़ों पर सूद का लेन देन उस के हराम होने के प्रारंभिक दायरे में है। लेकिन अगर यह मान भी लिया जाए कि व्यापारिक या व्यासायकि क़र्ज़ों के लिए सूद का लेन देन उस समय प्रचलित नहीं था तो भी शरीअत के तार्किक नियम दोनों तरह के क़र्ज़ों। पर लागू होते हैं। ब्याज दर कम या ज़्यादा होने पर भी ब्याज हराम होने के हुक्म पर कोई असर नहीं पड़ता। इस्लामी शरीयत में इस बात को मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि ब्याज की दर अगर कम या बहुत कम होगी तो ब्याज पर आधारित लेन देन जायज़ हो जाएगा।

☆☆☆